न्यायालय, जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 01/2016–17

राज्य बनाम राजेश कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
16.05.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58 अंतर्गत प्रश्नगत अधिहरण वाद की कार्रवाई खगड़िया थाना कांड संख्या–631/2016, दिनांक–06.11.2016 के रूप में दर्ज की गई प्राथमिकी तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पत्रांक–589, दिनांक–21.02.2017 के आधार पर संचालित है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के साथ सहायक अवर निरीक्षक, खगड़िया द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं जप्ती सूची की छायाप्रति संलग्न है। प्रस्ताव के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर की पर्यवेक्षण टिप्पणी भी संलग्न है। घटना के सारांश विवरण के रूप में प्रस्ताव में उल्लेख है कि बिना नम्बर की एक सुजूकी CIAZ CAR पर लदा हुआ 25 कार्टून विदेशी शराब एवं पल्सर मोटरसाईकिल BR34A-9949 पर बैठे व्यक्ति के पॉकेट से आठ बोतल विदेशी शराब जप्त किया गया है। इस घटना के निमित खगड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा दोनों जप्त वाहन खगड़िया थाना परिसर में रखा गया है। सहायक अवर निरीक्षक, खगड़िया थाना के पत्र में उल्लेख है कि बिना नम्बर की उक्त CIAZ CAR से 25 कार्टून विदेशी शराब के साथ–साथ गाड़ी में बैठे हुए कांड के अभियुक्त संजीव कुमार, श्याम कुमार तथा गाड़ी मालिक राजेश कुमार एवं धर्मवीर कुमार को पकड़ा गया था। जप्ती सूची के अनुसार CIAZ CAR से 16 कार्टून Officer Choice का विदेशी शराब बैच नं0–377, 09 कार्टून बैच नं0–379, 07 कार्टून ऑफिसरस् च्वाइस विस्की, जो प्रत्येक कार्टून में 180ml का 48 पाऊच (पैकेट) है तथा 158 अदद 180 ml का पाऊच (पैकेट) Officer Choice Whisky शराब गाड़ी की अगली एवं पिछली सीट के नीचे प्लास्टिक के बोरे में रखा हुआ बरामद किया गया। BR34A-9949 बजाज Pulsar मोटर साईकिल पर बैठे हुए गौतम कुमार के जेब से 8 अदद Officer Choice 180 ml का	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

पाऊच विस्की शराब बरामद किया गया।

प्राथमिकी में घटना के विवरण से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के उल्लंघन का कृत स्पष्ट है। प्राथमिकी में वर्णित है कि कुछ लोग एक उजले रंग की कार से कोई आपत्तिजनक सामान लेकर स्टेशन चौक से मथुरापुर की ओर जा रहे थें, जिसके आगे–आगे एक काले रंग का बजाज पल्सर मोटर साईकिल जिसका नं0– BR34A-9949 है, पर दो व्यक्ति निगरानी रखने के लिए चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर तैयारी की गई तथा परिणामस्वरूप प्रश्नगत CIAZ CAR तथा मोटर साईकिल की जप्ती की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर की पर्यवेक्षण टिप्पणी के पठन से घटना एवं जप्ती का समरूप विवरण स्पष्ट है।

प्रश्नगत वाद में सभी संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई, जो अभिलेखबद्ध हैं। दिनांक–07.04.2017 को दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के भी विज्ञापन के माध्यम से आगामी सुनवाई की तिथि–11.04.2017 दर्शाते हुए सूचना का प्रकाशन कराया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी वाहन मालिक राजेश मंडल की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा दिनांक–25.04.2017 को आपत्ति आवेदन भी दाखिल किया गया। मोटर साईकिल के स्वामी संजय कुमार शर्मा उपस्थित नहीं हुए।

राजेश मंडल के अधिवक्ता द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन में लिखा गया है कि सिजर लिस्ट जप्ती सूची के अनुसार पुलिस पदाधिकारी द्वारा कोई वाहन जप्त नहीं किया गया है। आपत्ति आवेदन में यह भी उल्लेख है कि चूँकि वाहन वित्त प्रदत्त है इसलिए राजेश मंडल इस वाहन के पूर्ण स्वामी नहीं है। आपत्ति आवेदन में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि प्रश्नगत कार विद्वान CJM, खगड़िया के न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया है परन्तु थानाध्यक्ष, खगड़िया द्वारा इसे रिलिज नहीं किया जा रहा है।

सुनवाई कि दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत् की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि जप्त वाहन अधिनियम की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य है। उन्होंने इस कांड से संबंधित विशिष्ट तथ्यों के उल्लेख के साथ जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामग्रियों के आलोक में घटना की गंभीरता का भी वर्णन किया है।

इस प्रकार प्राथमिकी के साथ जप्ती सूची एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग विपक्षीगण द्वारा ईरादतन

आदेश का क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इस कारोबार में प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। वाद की जानकारी नोटिस के साथ–साथ समाचार–पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी दी गई। विपक्षी राजेश मंडल के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उन्होनें आपत्ति आवेदन के साथ अपने तर्कों को भी रखा परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि जप्त कार का उपयोग स्पष्ट रूप से शराब के कारोबार हेतु किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध है।

वाद के दूसरे विपक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। समाचार–पत्र में विज्ञापित प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होकर उन्होनें न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित वाहन बिना नंबर CIAZ CAR तथा BR34A-9949 मोटरसाईकिल बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन बिना नंबर की CIAZ CAR तथा BR34A-9949 मोटरसाईकिल जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त वाहन बिना नंबर की CIAZ CAR तथा BR34A-9949 मोटरसाईकिल को मोटरयान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।